

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:- APS/AD/DLB/2023/308

दिनांक:- 29-05-2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(घ)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2021/789 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा श्री राहुल कुमार अग्रवाल, राजस्व अधिकारी द्वितीय को निलम्बित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 4868/2023 राहुल कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 में उक्त निलम्बन आदेश को स्टे किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में श्री राहुल कुमार अग्रवाल, राजस्व अधिकारी द्वितीय को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित से बहाल किया जाकर उनका पदस्थापन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बहादुरपुर के रिक्त पद पर किया जाता है।

उक्त कार्मिक को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



निदेशक

दिनांक:- 29-05-2023

क्रमांक:- APS/AD/DLB/2023/309-317

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. जिला कलक्टर, अलवर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, बहादुरगपुर।
07. श्री राहुल कुमार अग्रवाल।
08. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक
29.5.23